26-5-2016 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत में पेश हुई। वादी धर्मसिंह व प्रतिवादी गिर्राज उप० है। पक्षकारों ने राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि विवादित भूमि ख०नं० 629 रकबा 1.38 हैक्टर ग्राम हबीबपुर में गिर्राज पुत्र देवक्या के नाम दर्ज ½ हिस्सा को हजफ कर उसके स्थान पर हिस्सा ¼ दर्ज किया जावे। इस प्रकार वादी व प्रतिवादी सं० 1 ता 4 के नाम भूमि ख०नं० 629 मे हिस्सा बराबर ¼–¼ दर्ज करके रिकार्ड मे दुरुस्ती की जावे।

प्रस्तुत राजीनामा का व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रतिवादी गिर्राज पुत्र देवक्या के नाम ½ हिस्सा गलत रूप से दर्ज हो गया है। अतः राजीनामा स्वीकार कर पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार भूमि ख०नं० 629 रकबा 1.38 हैक्टर ग्राम हबीबपुर में वादी धर्मसिंह, प्रतिवादी गिर्राज, प्रतिवादी धनसिंह, प्रतिवादी लखनलाल को ¼–¼ हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। भूमि के वर्तमान इन्द्राज निरस्त किए जाकर उपरोक्तानुसार इन्द्राज किए जावें। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

गिर्राज
लाखनलाल
धर्मसिंह

(सतीश कुमार शर्मा)
एडवोकेट
सदस्य
लोक अदालत
गंगापुर सिटी

(रवि कुमार शर्मा)
एडवोकेट
सदस्य
लोक अदालत
गंगापुर सिटी

(मुनिदेव यादव)
अध्यक्ष
लोक अदालत
गंगापुर सिटी
एवं
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

नम्बर व तारी...
अहकाम जो ह...
हुक्म की तामी...
में जारी हुए...

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) उमरी

पीठासीन अधिकारी–: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

धर्मसिंह पुत्र नादान, गुर्जर निवासी हबीबपुर तह0 गंगापुर सिटी ——वादी

बनाम

1. गिर्राज पुत्र देवक्या, गुर्जर निवासी हबीबपुर तह0 गंगापुर सिटी
2. धनसिंह पुत्र नादान, गुर्जर निवासी हबीबपुर तह0 गंगापुर सिटी
3. लखन पुत्र नादान, गुर्जर निवासी हबीबपुर तह0 गंगापुर सिटी
4. सब रजिस्टार तहसीलदार गंगापुर सिटी
5. इलाहबाद बैक शाखा गंगापुर सिटी जरिए मैनेजर ——प्रतिवादीगण

दावा विभाजन, घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. – 61/2015

वादी की ओर से वादी धर्मसिंह की व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी गिर्राज वगैरा की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 26.5.2016 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

लोक अदालत में पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार भूमि ख0न0 629 रकबा 1.38 हेक्टर ग्राम हबीबपुर में वादी धर्मसिंह प्रतिवादी गिर्राज, धनसिंह, लखनलाल को 1/4 – 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। भूमि के वर्तमान इन्द्राज निरस्त किये जाकर उपरोक्तानुसार इन्द्राज किये जावे। प्रतिवादी गिर्राज के हिस्से पर रहन का इन्द्राज यथावत रहेगा।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 26.5.2016 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
गंगापुर सिटी

उपजिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4 ....रूपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामील		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	

प्रपत्र 4 6

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गंगापुर सिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :- उमरी

राजीनामा प्रपत्र

दिनांक 26/5/16

श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय,

केम्प – उमरी
61/15 – धर्मसिंह बनाम गिरिराज वगैरह

प्रकरण संख्या .... अन्तर्गत धारा ....

उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थी / वादी श्री धर्मसिंह पुत्र नारायण .... उक्त प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो गई है कि उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो गई है। अब हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके है। हमारा आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है

[illegible handwritten terms, partially: ... खसरा नं. 629 ... 5 ग्राम-हबीबपुर में गिरिराज पुत्र देवराम के नाम दर्ज ... 1-38 ... खसरा नं. 629 ... कब्जे के हिसाब से दुरुस्ती की जावे।]

अतः निवेदन है कि उक्त राजीनामा तस्दीक कर पक्षकारों का निस्तारण करने की कृपा करें।

वादी पक्ष
1. धर्मसिंह
2. [signature]
3. [stamp: सरपंच ग्राम पंचायत उमरी पं.स. गंगापुर सिटी (स०मा०)]
4. [stamp: प्रधानाचार्य राजकीय ... विद्यालय उमरी, तह. ... (स०मा०)]

प्रतिवादी पक्ष
1. गिरिराज
2. ....
3. [signature]
4. धनसिंह

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर ....
(वादी पक्ष) नाम ....

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर ....
(प्रतिवादी पक्ष) नाम ....

प्रार्थी / वादी धर्मसिंह .... एवं ~~अप्रार्थी~~ / प्रतिवादी गिरिराज वगैरा .... द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामें की इबारत को सुन व समझ कर सही होना स्वीकार किया गया। अतः राजीनामा हस्बख्वाहिश पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।

(ह० सदस्य) (ह० सदस्य) (ह० सदस्य) (ह० सदस्य)
(... कुमार शर्मा) एडवोकेट सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी
(रवि कुमार शर्मा) एडवोकेट सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी
(मुनि देव यादव) अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी लोक अदालत गंगापुर सिटी एवं उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी